रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 576] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर, 1, 1989/कार्तिक 10, 1911
[No. 575] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 1, 1989/KARTIKA 10, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 1989

सं. 51/89-केन्द्रीय उ. शुल्क (एन.टी.)

सा.का.नि. 946(अ).—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसी प्रथा के अनुसार, जो केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 के अधीन केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के उद्ग्रहण की बाबत (जिसके अन्तर्गत उसका उद्ग्रहण न किया जाना भी है) साधारणतया प्रचलित थी,

उत्पाद-शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की अनुसूची के उपशीर्ष सं. 3003 10 के अन्तर्गत आने वाले पेटेन्ट या सांपत्तिक औषध-द्रव्य के नमूना पर (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त माल कहा गया है) 1 मार्च, 1988 को प्रारम्भ होने वाली और 2 मई, 1988 को समाप्त होने वाली कालावधि के दौरान भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं 171/70-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 21 नवम्बर, 1970 के साथ पठित उक्त धारा 3 के अधीन उद्ग्रहीत नहीं किया जा रहा था;

और उक्त माल पर विशेष उत्पाद-शुल्क भी पूर्वोक्त कालावधि के दौरान वित्त अधिनियम, 1988 (1988 का 26) की धारा 82 की उपधारा (1) के अधीन उद्ग्रहीत नहीं किया जा रहा था,

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, प्रथम वर्णित अधिनियम की धारा 11ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि उक्त माल पर, उक्त प्रथा के न होने पर, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं. 171/70-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 21 नवम्बर, 1970 के साथ पठित प्रथम वर्णित अधिनियम के अधीन या उक्त वित्त अधिनियम के अधीन संदेय सम्पूर्ण उत्पाद-शुल्क और विशेष उत्पाद-शुल्क उस उक्त माल की बाबत संदत्त किया जाना अपेक्षित नहीं होगा, जिस पर उक्त उत्पाद-शुल्क या विशेष उत्पाद-शुल्क उक्त प्रथा के अनुसार पूर्वोक्त कालावधि के दौरान उद्गृहीत नहीं किया गया था।

[फा. सं. 102/1/89-के.उ. शुल्क 3]

एस.बी.बी. राव, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st November, 1989

No. 51/89—CENTRAL EXCISES (N.T.)

G.S.R. 946 (E):—Whereas the Central Government is satisfied that according to a practice that was generally prevalent regarding levy of duty of excise (including non-levy thereof) under section 3 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the duty of excise on samples of patent or proprietary medicaments (hereinafter referred to as the said goods), falling under sub-heading no. 3003.10 of the Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986), was not being levied under the said section 3 read with the Notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 171/70—Central Excises, dated the 21st November, 1970, during the period commencing on the 1st day of March, 1988 and ending with the 2nd day of May, 1988;

And whereas the special duty of excise on the said goods was also not being levied under sub-section (1) of section 82 of the Finance Act, 1988 (26 of 1988), during the period aforesaid;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 11C of the first mentioned Act, the Central Government hereby directs that the whole of the duty of excise and the special duty of excise payable under the first-mentioned Act read with the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 171/70-Central Excises dated the 21st November, 1970, or under the said Finance Act, on the said goods, but for the said practice, shall not be required to be paid in respect of the said goods, on which the said duty of excise or the special duty of excise were not levied during the period aforesaid, in accordance with the said practice.

[F.No.102/1/89-CX.3]
M.V.B. RAO, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054. 1989